भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,रत्नागिरी.

संयोजक - बैंक ऑफ़ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, शिवाजीनगर,रत्नागिरी,

Email – ratnasindhu10@gmail.com

www.http://narakasratnagiri.co.in

छमाही बैठक दि.27.11.2017 समय- दोपहर 3.30 बजे

स्थान- संमेलन कक्ष, न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि

कार्यवृत्त

वर्ष 2017-18 की द्वितीय बैठक न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि के संमेलन कक्ष में दोपहर 3.30 को संपन्न हो गई. मंचासीन मान्यवरों के कर कमलों से दीप प्रज्ज्वलन हो गया तथा प्रार्थना के बाद बैठक का आयोजक कार्यालय एनपीसीएल के श्री नांदकर जी ने समिति के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर गोरे, उप निदेशिका डॉ सुनीता यादव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, श्रीमती हाजरा सय्यद, बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय प्रतिनिधि तथा सदस्य सचिव श्री रमेश गायकवाड का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया.

बैठक को प्रारंभ करने से पहले समिति की छमाही पत्रिका राजभाषा रत्नसिंधु का विमोचन डॉ सुनीता यादव तथा अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर गोरे के करकमलों से हुआ. इसके बाद पुरस्कार तथा नराकास शील्ड वितरण समारोह संपन्न हुआ. सदस्य सचिव गायकवाड ने अपनी प्रस्तावना में पत्रिका के अंतरंग को प्रस्तुत किया और पत्रिका समिति की वेबसाइट **www.http://narakasratnagiri.co.in** पर उपलब्ध की जाने की जानकारी दी.

अंशदान राशि - सदस्य सचिव ने बताया कि, बहुत से सदस्य कार्यालयों ने जो शेष राशि भरी नहीं है, उन्होंने समिति के खाते में जमा करने हेतु अनुरोध है, उन्होंने यह भी कहा कि, समिति को सदस्य कार्यालयों से लगभग रू.160000/- राशि जमा होनी शेष है. वह तुरंत जमा करने को आवाहन किया.

सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय जी के अनुमति से बैठक को प्रारंभ किया गया.

विषय - 1 - प्रथम सदस्य सचिव ने अपनी प्रस्तावना के बाद पिछली बैठक 23/05/2017 में लिये गये निर्णयों के अनुसार कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की और सदस्यों ने कार्यवृत्त की पुष्टि की.

कृत कार्रवाई-

1. **ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली अगले छमाही से प्रारंभ** - इस कार्रवाई मद के अनुसार समिति ने सदस्य कार्यालयों के लिए प्रथम चरण में रिपोर्ट स्केन करके ऑनलाईन रिपोर्ट भेजने की सुविधा उपलब्ध कर दी है. इस मद पर सदस्य सचिव ने वेबसाइट खोलकर किस तर रिपोर्ट भेजा जा सकता है इसका डेमो दिया.
2. **हिंदी छमाही पत्रिका का पंजीकरण** - सदस्य सचिव ने बताया पंजीकरण के कार्य को प्रारंभ किया गया है, कुछ समय में ही पत्रिका का पंजीकरण हो जाएंगा.
3. **कोर कमेटी का पुनर्गठन** - कोर कमेटी में श्री विकास हेलोडे, न्यू इंडिया इश्यूरन्स कं लि तथा श्री फत्तेसिंह यादव, भारतीय जीवन बीमा निगम इनको सम्मिलित किया गया है.

4. **कार्यशाला का आयोजन** - सदस्य कार्यालय बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दि.27 नवंबर 2017 को हिंदी छमाही रिपोर्ट कैसा भरा जाएं, ऑनलाइन कैसा भेजा जाएं, यूनिकोड डाउनलोड करना तथा कम्प्युटर पर सक्रिय कैसा किया जाएं इस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसके परिणाम स्वरूप लगभग सभी सदस्य कार्यालयों ने सही रिपोर्ट भेजने का प्रयास किया गया है.

5. **अनुपस्थित सदस्य कार्यालयों को अर्ध सरकारी पत्र भेजना** - दि.23/05/2017 की समिति की बैठक में अनुपस्थित सभी कार्यालयों को दि.27/05/2017 को अध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर से अर्ध सरकारी पत्र भेज गये है, साथ में उनके नियंत्रित कार्यालय को उसकी प्रतिलिपि प्रेषित की गयी है.

6. **हिंदी पखवाडा दि.14 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाना -** समिति के तत्वावधान में हिंदी पखवाडा मनाया गया, इसी दौरान 5 प्रतियोगिता का आयोजन बडे उत्साह से विविध सदस्य कार्यालयों ने किया.

विषय 2 - नराकास की गतिविधियों को तेजी लाने के लिये इस बैठक में रखें कुछ सुझाव / निर्णय

- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्यालय का प्रारंभ
- सदस्य कार्यालयों के लिए ग्रंथालय की सुविधा उपलब्ध
- ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली के दूसरे चरण को प्रारंभ करना
- संगोष्ठी का आयोजन
- ई पत्रिका का प्रारंभ
- कार्यालय प्रमुखों के लिए कार्यशाला का आयोजन

इसके बाद सदस्य सचिव श्री रमेश गायकवाड ने उपनिदेशक महोदया डॉ सुनीता यादव को सदस्य कार्यालयों से प्राप्त छमाही रिपोर्टों की समीक्षा तथा संबोधन के लिए अनुरोध किया.

विषय-2 तिमाही रिपोर्टो की समीक्षा तथा उपनिदेशक महोदया का संबोधन

उपनिदेशक महोदया ने प्राप्त रिपोर्टो के अनुसार समीक्षा के लिए प्रारंभ करने से पहले कहां कि सभी सदस्य कार्यालय का ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली में पंजीकरण 15 दिन के अंदर होना आवश्यक है. इसलिए सदस्य समिति की सहायता ले सकते है. रत्नागिरी नराकास के संदर्भ में कहां कि, समिति का कार्य बहुत ही सही तरीके से चल रहा है, समिति हर समय नयापन लाने का प्रयास कर रही है. समिति द्वारा बैठकों का समय पर आयोजन किया जा रहा है, समिति की छमाही पत्रिका निरंतर प्रकाशित हो रही है और समिति के और बेहत्तर कार्य के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं.

सदस्य कार्यालयों जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया है यह देखकर उप निदेशक महोदया ने कहां कि, हिंदी का कार्यान्वयन वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार बहुत ही पीछे चल रहा है, बहुत से कार्यालयों का हिंदी पत्राचार लक्ष्य से बहुत कम है. हमारी समिति ख क्षेत्र में आती है तो उसका लक्ष्य है 90 प्रतिशत होना चाहिए लेकिन यहां कुछ कार्यालयों का हिदी पत्राचार बहुत ही कम है इसमें सुधार करने की आवश्यकता व्यक्त की. छमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजे, जिससे समेकन का कार्य आसानी से हो सकता है. रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकडों को देखकर उन्होंने कहां कि, आंकडे प्रस्तुति में सुधार आवश्यक है. धारा 3/3 में अंतर्गत आनेवाले सभी 14 कागजात द्विभाषा (इसकी सूची अलग से परिशिष्ट-2 में दी है) में जारी होने आवश्यक है. हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिंदी में ही देना है. वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों के अनुसार कार्यान्वयन होना आवश्यक है.

प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन तथा उसकी तिमाही बैठके का अनिवार्यत: आयोजन करें. हिदी कार्यशाला का आयोजन एक दो कार्यालय मिलकर करें ताकि इसमें कमी न रहें.

उपनिदेशक महोदया ने यह भी कहां कि, आज इस बैठक में कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति कम दिखाई दे रही है, अध्यक्ष महोदय को अनुरोध है कि अनुपस्थित कार्यालयों को अर्ध सरकारी पत्र भेजे तथा

उसकी प्रति उनके नियंत्रणाधीन कार्यालय को प्रेषित करें उसकी एक प्रति गृह मंत्रालय सचिव तथा हमें भेजे जिससे उनके प्रधान कार्यालय को हम अनुपस्थिति के बारे में स्पष्टीकरण की मांग कर सकते है.

भारतीय तटरक्षक अवस्थान रत्नागिरी के समादेशक कमान अधिकारी श्री सुधाकर पाटील जी अपने मनोगत व्यक्त करते समय कहा कि, रत्नागिरी जैसे छोटे नगर में हिंदी का प्रयोग बहुत ही अच्छा हो रहा है यह जानकार मुझे बहुत ही खुशी हुई. पिछली छमाही से मैं इस बैठक में उपस्थित रहता हूं, तब से हमारे कार्यालय में पूरी तरह से हिंदी का माहौल बन गया है और यह निरंतर रहेगा, हम सभी सदस्य कार्यालय यह तय करते है तो समिति का कार्य और बेहत्तर होगा. हम सभी सदस्य कार्यालय इस पर ध्यान देंगे और उप निदेशिका महोदया को अपेक्षित मदों के अनुसार कार्रवाई करेंगे.

बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग वरिष्ठ प्रबंधक श्रीमती हाजरा सय्यद ने कहा कि, बैठकों में कार्यालय प्रमुखों की भूमिका महत्वपूर्ण होती उनकी उपस्थिति शत प्रतिशत होनी आवश्यक है. समिति ने लिये गये निर्णयों पर अंमल लाना आसान होता है. वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वयन करें; समिति ने वेबसाइट से लेकर ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली तक अच्छा कार्य किया है यह बहुत ही सराहनीय है. इसमें सदस्य कार्यालयों से सहयोग आवश्यक है.

<u>**अध्यक्षीय संबोधन**</u>

अध्यक्ष महोदय श्री चंद्रशेखर गोरे जी ने अपने संबोधन में कहा कि, समिति ने पिछली बैठक में लिये गये सभी निर्णयों पर कार्रवाई की गई है इस सफलता में आप सभी सदस्य कार्यालयों को बडा योगदान है और यह सराहनीय भी है. इस बैठक में सदस्य सचिव द्वारा कुछ नये प्रस्ताव रखें है, उसे समिति की ओर से अनुमोदन प्रदान करते है, जो निर्णय समिति को प्रगति के ओर लेकर जानेवाले है.

आप सभी सदस्य कार्यालयों को अनुरोध है कि, वे समिति को जो आवश्यक जानकारी लगती है वह समय पर प्रस्तुत करें. **राजभाषा रत्नसिंधु** पत्रिका के इस अंक में साहित्यिक आलेखों के साथ - साथ तकनीकी आलेखों को समावेश किया गया है यह अच्छी बात है. ऑनलाईन रिपोर्टिंग प्रणाली के कारण सदस्य कार्यालयों को अलग से डाक द्वारा रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है.

आप सभी जानते है कि राजभाषा का कार्यान्वयन हमारे सरकारी कार्यालयों में होना आवश्यक है. यह भाषा सरल और सहज है इसे अपनाना आवश्यक है, हिंदी का प्रयोग विदेश में भी हो रहा है, इसी वजह से हम विश्व हिंदी दिवस मना रहे है. आप किसी अन्य प्रदेश में जाते है तो वहां की जनता से संवाद कैसा होगा, संपर्क भाषा से होगा और वह संपर्क भाषा है हिंदी जिसे पूरी दूनिया जानती है. राजभाषा को अपनाएं और कार्यालयीन कामकाज में अधिक से अधिक प्रयोग करें समिति को सफलता की ओर लेकर चले.

आप सभी को मेरी ओर से पुन: मंगल कामनाएं । धन्यवाद ।

श्री विश्वास विद्वांस जी ने उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया और आकाशवाणी में हिंदी प्रेमियों के प्रतिभा को प्रस्तुत करने का लाभ उठाने का आवाह्न किया और अन्य विषय न होने पर अध्यक्ष महोदय जी के अनुमति के साथ बैठक समाप्ती की घोषणा की गई.

(रमेश गायकवाड)
सदस्य सचिव

(चंद्रशेखर गोरे)
अध्यक्ष

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी.

उपस्थित कार्यालय प्रतिनिधियों की सूची

सं.	नाम	संस्थान का नाम
1	श्री चंद्रशेखर गोरे	अध्यक्ष, एवं सहायक महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया
2	डॉ सुनीता यादव	उप निदेशक, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
3	श्रीमती हाजरा सय्यद	वरिष्ठ प्रबंधक(राजभाषा) बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय
4	श्री सुधाकर पाटील	समादेशक, कमान अधिकारी, तटरक्षक अवस्थान
5	श्री उपेंद्र शेटये	क्षेत्रीय रेल प्रबंधक, कोंकण रेल्वे.
6	श्री धनंजय कदम	उपायुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर,
7	श्रीमती अनुराधा जाधव	सहायक आयुक्त, आयकर
8	श्री सुनिल भाटकर	अधिक्षक, सीमा शुल्क कार्यालय,
9	श्री विलास वरसकर	सहायक महाप्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र
10	श्री सचिन नांदकर	उप प्रबंधक, न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि
11	श्री एस वाई खाडे	केंद्राध्यक्ष, आकाशवाणी
12	श्री विनय परांजपे	शाखा प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्येरंस कं. लि
13	श्री चंद्रशेखर दामले	सहायक अभियंता, दूरदर्शन केंद्र, रत्नागिरी
14	श्री चंद्रशेखर पाटील	वरिष्ठ प्रबंधक, सिंडिकेट बैंक
15	श्री श्रीराम नारायण जोशी	वरिष्ठ प्रबंधक, देना बैंक
16	श्री एम ए वलिशा शा	वरिष्ठ प्रबंधक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स
17	श्री एच डी मासाळ	वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम
18	श्रीमती अरूणा केलकर	प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक
19	श्रीमती प्रीता शाजी	प्रबंधक, केनरा बैंक
20	श्री नितिन पाटील	प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक
21	श्री योगेश सोनवणे	प्रबंधक, विजया बैंक
22	श्री शंकर लांघे	शाखा प्रबंधक, इंडियन बैंक
23	श्री निलेश शेटे	शाखा प्रबंधक, नेशनल इन्श्योरेन्स कं
कार्यालय प्रमुख के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित		
24	श्री आर के सिंह	राजभाषा अधिकारी, भारत संचार निगम लि.
25	श्री विशाल बी दाते	उप प्रबंधक युनियन बैंक
26	श्री विजय बागवे	उप शाखा प्रबंधक, सेंट्रल बैंक
27	श्री जिशान खाँ	सहायक प्रबंधक कार्पोरेशन बैंक
28	श्री सचिन माने	प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा
29	श्री पीतांबर हुणबर	प्रबंधक, युको बैंक
30	श्री विकास हेलोडे	सहा. प्रबंधक, दि न्यू इंडिया एश्युरन्स कं,
अन्य		
	श्री कृष्णा लंबानी	उप मुख्य राजभाषा अधिकारी कोंकण रेल्वे.
	श्री सी.एस.मयेकर	वरिष्ठ सहायक, सेंट्रल एक्साईज
	श्री जे गौतम कुमार	उत्तम अधिकारी, तटरक्षक अवस्थान
	श्री सी जे म्हामुलकर	वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, कोंकण रेलवे
	श्री मनीता बीहाना	सहायक प्रबंधक, सिंडिकेट बैंक
	श्री सतीश रानडे	शाखा प्रबंधक, दि न्यू इंडिया एश्युरन्स कं,
	श्री लक्ष्मीकांत भाटकर	निरीक्षक, सीमा शुल्क मंडल,
	श्री फतेसिंह यादव	अधिकारी , बैंक महाराष्ट्र
	श्री संतोष पाटोले	अधिकारी कोंकण रेलवे
	श्री राजेश बसवर	अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया
	श्री मौ नदीम	तटरक्षक अवस्थान
	श्री चंद्रकांत मयेकर	केंद्रीय जीएसटी
	श्री चंद्रकांत कुमार	तटरक्षक अवस्थान
	श्री सुभाष सिंह	तटरक्षक अवस्थान
	श्री राजीव रंजन	प्रबंधक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स
	श्री नितिन रसाल	सीमा शुल्क कार्यालय
	श्री अभिषेक कुमार सिंह	बैंक ऑफ इंडिया.
	श्रीमती अंजली पवार	कोंकण रेलवे
	श्रीमती सावनी माईनकर	कोंकण रेलवे
	श्रीमती नेहा गिरीश तोरस्कर	कोंकण रेलवे
	श्रीमती सविता गोकर्ण	सीमा शुल्क कार्यालय
	श्री. मुकेश कुशवाहा	सीमा शुल्क कार्यालय
	श्री. संदीप केळकर	कोंकण रेलवे
	श्री अब्दुल अजीज वझीर नाकाडे	आकाशवाणी
	श्रीमती वर्षा प्रदीप कांबले	सीमा शुल्क कार्यालय
	श्री रमेश गायकवाड	सदस्य सचिव, नराकास

नराकास रत्नागिरी TOLIC RATNAGIRI

अनुपस्थित कार्यालय

1	भारतीय स्टेट बैंक	अनुपस्थित
2	इंडियन ओवरसीज बैंक	अनुपस्थित
3	आंध्रा बैंक	अनुपस्थित
4	डाक अधिक्षक कार्यालय	अनुपस्थित
5	युनायटेड इंडिया इंश्योरेन्स कं.	अनुपस्थित

कुल सदस्य कार्यालय 33 – उपस्थित कार्यालय –28 अनुपस्थित कार्यालय – 5

परिशिष्ट- 2

- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3/3 के अनुसार निम्नलिखित 14 दस्तावेज अनिवार्यत: द्विभाषा में ही जारी करना है.

संकल्प	नियम	करार
साधारण आदेश	अधिसूचना	अनुज्ञप्ति
परिपत्र	प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट	अनुज्ञापत्र
परिपत्रक	प्रेस विज्ञप्ति	सूचना और निविदा प्रारूप
कार्यालय आदेश	संविदा	

<u>निम्नलिखित पुरस्कारों के मापदंडो पर गौर करें</u>

1. छमाही पत्रिका का प्रकाशन निरंतर तथा जिसमें आलेखों का स्तर उच्च और अधिक से अधिक तकनीकी स्वरूप के हो.
2. 100% सदस्य कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति.
3. 100% सदस्य कार्यालयों के छमाही रिपोर्टों की प्रस्तुति.
4. बैठकों का केलेंडर के अनुसार आयोजन
5. 7 दिन के अंदर कार्यवृत्त नराकास के वेब पर अपलोड होना.
6. कितने समारोहों का आयोजन किया गया है. (किस तरह के इसमें स्थानीय या राष्ट्रीय)
7. सेमिनार का आयोजन आदि.
8. हिंदी दिवस/ हिंदी पखवाडा मनाना

नराकास रत्नागिरी TOLIC RATNAGIRI